

## विज्ञापित

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये देशी शराब व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की अवशेष दुकानों के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त महोदय उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय पत्र संख्या 1347-1421/दस-लाईसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक इलाहाबाद 06 अप्रैल 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दो चरणों की समाप्ति के पश्चात तृतीय चरण में अवशेष देशी शराब व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी नीति 2018-19 एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत ई-लॉटरी के माध्यम से निम्न समय सारणी के अनुसार किया जाना है।

1	जनपद की प्रथम चरण के उपरान्त अवशेष देशी शराब, विदेशी मदिरा, व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थित करने के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 07.04.2018 की प्रातः 10:00 बजे से
2	ई-लाटरी हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दि0 12.04.2018 को रात्रि 11:30 बजे तक
3	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	13.04.2018 से 15.04.2018 तक
4	ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	16.04.2018 को प्रातः 09:00 बजे से सभागार कलेक्ट्रेट परिसर फर्रुखाबाद।


शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेगी इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिये क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। अवशेष दुकानों का विवरण निम्नवत् है—  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में देशी शराब की अवशेष फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0, बेसिक लाईसेंस फीस, लाईसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि, एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

क 0 सं 0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुकान का निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 (36प्रतिशत वी/वी) ब0ली0 में	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित बेसिक ला0 फी0 रुपये में (एम0जी0क्यू0 × 28)	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धरोहर धनराशि रुपये में (बेसिक लाईसेंस फीस/10)	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित ला0 फी0 रुपये में (एम0जी0क्यू0 × 222)	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि रुपये में (लाईसेंस फीस/10)	प्रोसेसिंग फीस (वैट/जी0एस0 टी0 व अन्य देय कर अतिरिक्त रूप से देय होगा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोठी	ग्रामीण	41808	1170624	117062	9281376	928138	15000
2	गूजरपुर मनपुरामार्ग	ग्रामीण	20916	585648	58565	4643352	464335	15000
3	हुसैन गंज	ग्रामीण	8064	225792	22579	1790208	179021	15000
4	बन्थल शाहपुर	ग्रामीण	14808	414624	41462	3287376	328738	15000
5	परमनगर	ग्रामीण	6600	184800	18480	1465200	146520	15000
6	महरूपुर रावी	ग्रामीण	11508	322224	32222	2554776	255478	15000


वित्तीय वर्ष 2018-19 में विदेशी मदिरा की अवशेष फुटकर दुकान के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित वार्षिक ला0फी0/प्रतिभूति धनराशि/प्रोसेसिंग फीस/धरोहर धनराशि का विवरण

क0 सं0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित प्रतिभूति (धनराशि लाईसेंस फीस/10) रुपये में	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (वैट/जी0एस0टी0 व अन्य देय कर अतिरिक्त रूप से देय होगा) रुपये में	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (लाईसेंस फीस/10) रुपये में
1	2	3	4	5	6	7
3	रुदायन	ग्रामीण	250000	25000	15000	25000

इस चरण में धरोहर धनराशि, प्रोसेसिंग शुल्क व जी0एस0टी0 के भुगतान की प्रक्रिया द्वितीय चरण के समान रहेगी।

  
(टी0आर0वैट/वी0एस0) 06/04/18


जिला आबकारी अधिकारी  
फर्रुखाबाद

  
(मौनिका रानी)

जिलाधिकारी/ लाईसेंस प्राधिकारी  
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि:— निम्न को इस आशय से कि विज्ञापित को अपने दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर व स्थान में आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

1. सम्पादक दैनिक जागरण समाचार पत्र फर्रुखाबाद।
2. सम्पादक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र फर्रुखाबाद।

  
जिला आबकारी अधिकारी,  
फर्रुखाबाद।